उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: edhr@upcl.org, Website: upcl.uk.gov.in

पत्रांक................../अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/S-I दिनांक 29/04/2026

विषय :– सेवा का अधिकार आयोग में रिक्त संयुक्त सचिव के 01 पद एवं अनुभाग अधिकारी के 02 पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर तैनाती विषयक।

समस्त मुख्य अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,

.... ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, मा0 उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून के पत्रांक –15/26–3(142)/2024 दिनांक 17.04.2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मा0 उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में संयुक्त सचिव के 01 रिक्त पद एवं अनुभाग अधिकारी के 02 रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर भरे जाने के निर्णय से अवगत कराते हुए योग्य एवं इच्छुक पात्र अधिकारियों/कार्मिकों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ कार्यालयों में योग्य एवं इच्छुक पात्र अधिकारियों/कार्मिकों के मध्य प्रचारित करवाने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(जितेन्द्र सिंह)
उपमहाप्रबन्धक(मा0सं0)

पत्रांक 1831 /अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/S-I तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ ऑफिसर–1, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव–निदेशक(परिचालन/परियोजना/वित्त) उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय अधिशासी निदेशक(मा0सं0), उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. निजी सचिव, कार्यालय अधिशासी निदेशक(तकनीकी), उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. कम्पनी सचिव, उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता(सू0प्रौ0), उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को उपाकालि की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(जितेन्द्र सिंह)
उपमहाप्रबन्धक(मा0सं0)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा का अधिकार भवन

1—चालंग हिल्स, पो॰ऑ॰—कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

वेबसाईटः—urtsc.uk.gov.in, ई—मेलः—ukrtsc@gmail.com

पत्रांकः 15 /26—3(142)/2024 दिनांकः 17 अप्रैल, 2026

DGM-IV CC-RD

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
देहरादून।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड सरकार।

विषय— सेवा का अधिकार आयोग में रिक्त संयुक्त सचिव के 01 पद एवं अनुभाग अधिकारी के 02 पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर तैनाती विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में संज्ञान में लाना है कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में संयुक्त सचिव के 01 रिक्त पद एवं अनुभाग अधिकारी के 02 रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर भरे जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु आयोग द्वारा संलग्न विज्ञप्ति (प्रति संलग्न) के अनुसार रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र अधिकारियों/कार्मिकों से आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

इस संबंध में आयोग की अधिसूचना सं॰ 01/सं॰सचि॰एवं अनु॰अधि॰/2026, दिनांक 15.04.2026 (प्रति संलग्न) प्रेषित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा का अधिकार आयोग में प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण हेतु योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों/कार्मिकों के मध्य प्रसारित कराते हुए आवेदन—पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 15.05.2026 सायं 05:00 बजे तक आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः— यथोपरि।

Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 16-04-2026 18:55:32

भवदीय,

No. 3081 MD/UPCL G-11 Dt. 24/4/2026

(महावीर सिंह)
सचिव।

ED(HR)
कृ॰ संज्ञानार्थ एवं आ॰ कार्यवाही हेतु प्रेषित।
24/04

डायरी सं॰ 2881
दिनांक 24/04/26
05:20PM

File No. URTSC-ESTA03142/1/2024-URTSC-DEPT UK Right To Service Commission (Computer No. 105647)
Generated from eOffice by ANITA BHATT, Mrs, REVIEW OFFICER, DEPT UK Right To Service Commission on 17/04/2026 11:08 am

24/04/2026

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा का अधिकार भवन
1—चालंग हिल्स, पो०ऑ०—कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
वेबसाईटः—urtsc.uk.gov.in, ई—मेलः—ukrtsc@gmail.com

संख्याः 01 /सं०सचि०एवं अनु०अधि० / 2026, दिनांक 15.04.2026

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में शासनादेश सं० 482 / XLIII(1) / 15–20 (05)14, दिनांक 30.03.2015 द्वारा सृजित **"संयुक्त सचिव"** के 01 रिक्त पद एवं **"अनुभाग अधिकारी"** के 02 रिक्त पदों पर वित्त अनुभाग– 10, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 287698 / XXVII(10) / E–77990 / 2025, दिनांक 01.04.2025 में निहित प्राविधानांतर्गत प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानांतरण के आधार पर राज्य सचिवालय / विभागों / आयोगों के नियमित इच्छुक अधिकारियों / कार्मिकों से निम्न विवरणानुसार आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या	नियुक्ति की प्रकृति	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	न्यूनतम अर्हता / अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	संयुक्त सचिव	01	प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानांतरण	7वें वेतन आयोग की वेतन मैट्रिक्स में लेवल–13	**वांछनीय अर्हता :–** 1. राज्य सरकार के वेतन लेवल–13 में कार्यरत हों, अथवा 2. वेतन लेवल–12 के पद पर नियमित रूप से नियुक्त अधिकारियों जिन्हें उक्त वेतन लेवल में 05 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव हो। 3. राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित अनुभवी अधिकारियों को वरीयता दी जायेगी।
2.	अनुभाग अधिकारी	02	प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानांतरण	7वें वेतन आयोग की वेतन मैट्रिक्स में लेवल–8	**वांछनीय अर्हता :–** 1. राज्य सरकार के वेतन लेवल–8 में कार्यरत हों, अथवा 2. वेतन लेवल–7 के पद पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिक जिन्हें उक्त वेतन लेवल में 05 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव हो। 3. राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित अनुभवी कर्मचारियों को वरीयता दी जायेगी।

2. आयोग में प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानांतरण पर कार्य करने के इच्छुक अधिकारी / कर्मचारी, विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही / दण्ड आदेश / विभागीय कार्यवाही / कोर्ट केस (आवेदक के विरूद्ध / आवेदक के द्वारा) नहीं की गयी है / कार्यवाही लम्बित न हो,

संबंधित प्रमाण–पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। आवेदन–पत्र अग्रिम प्रेषित किये जा सकते हैं, परन्तु साक्षात्कार में सम्मिलित होते समय विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं संतोषजनक सेवा आदि के प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

3. उक्त पदों की निरंतरता दिनांक 28.02.2027 तक के लिए प्राप्त हैं, जिनके निरंतर बने रहने की सम्भावना है।
4. आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक दशा में सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को उक्त पते पर पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से दिनांक 15.05.2026 के सायं 05 बजे तक प्राप्त हो जायें। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. **अधिसूचना को आयोग की वेबसाईट www.urtsc.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।**
6. संयुक्त सचिव के पद हेतु आवेदन करने के लिए लिफाफे के ऊपर **"संयुक्त सचिव के पद हेतु आवेदन–पत्र"** एवं अनुभाग अधिकारी के पद हेतु आवेदन करने के लिए लिफाफे के ऊपर **"अनुभाग अधिकारी के पद हेतु आवेदन–पत्र"** का अंकन किया जाय।
7. साक्षात्कार में शामिल होने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. उक्त नियुक्ति को बिना सूचना के रद्द करने तथा नियुक्ति पर अंतिम निर्णय का अधिकार मा॰ मुख्य आयुक्त उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को रहेगा, जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

Digitally signed by
Mahaveer Singh
Date: 15-04-2026
12:13:48

सचिव,
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून।

आवेदन–पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट साईज फोटो

(स्व–प्रमाणित)

आवेदित पद का नाम ....

1. आवेदक का नाम ....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम ....
3. जन्म तिथि ....
4. लिंग (पुरूष/महिला) ....
5. राष्ट्रीयता ....
6. स्थायी पता ....

   ....
7. पत्राचार का पूरा पता ....

   ....
8. आवेदक के तैनाती कार्यस्थल का पता ....

   ....
9. आवेदक का पदनाम ....
10. मोबाईल नम्बर ....
11. ई–मेल ....
12. शैक्षिक अर्हता :–

    (अन्तिम शैक्षिक योग्यता की स्वप्रमाणित प्रति।)
13. नियुक्ति/पदोन्नति/सेवा विवरणः–

क्र॰सं॰	विभाग का नाम	सेवा की अवधि		धारित पद का नाम	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन/वेतन लेवल	कार्य की प्रकृति
		दिनाँक से	दिनाँक तक			

14. अन्य उपलब्धियाँ/उल्लेखनीय कार्यः–

    ....

    ....

    ....

घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उक्त पद की अधिसूचना में वर्णित पात्रता की समस्त शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ी हैं, जो मुझे मान्य हैं और मैं यह शर्तें पूरी करता/करती हूँ। इस आवेदन–पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं/विवरण सत्य एवं सही हैं और मैंने इन सूचनाओं/विवरण में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। किसी सूचना/विवरण के असत्य या गलत पाए जाने अथवा कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना, पाए जाने पर मेरा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा। यदि नियुक्त किये जाने के उपरांत, ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो भी मेरी प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण स्वतः समाप्त समझी जाय। मैं राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी हूँ और मैंने अपना मूल आवेदन–पत्र नियुक्ति प्राधिकारी को उचित माध्यम से दिनाँक .... को विधिवत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर दिया है (संलग्न)।

मेरे विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित/लम्बित नहीं है। किसी थाने अथवा न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और मैं किसी भी मामले में न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं दिया गया हूँ।

तिथिः–

स्थानः– आवेदक के हस्ताक्षर